



कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली

डाक बंगला परिसर, पाली

फोन नं. 02932-223222

ई मेल – uitpali@gmail.com

क्रमांक: बीपीसी (एल.पी.)/2025/1058

दिनांक:- 06/01/26

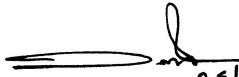
पारस मल पुत्र श्री केवल चंद जैन
निवासी- 15, झुरों का बास, पुरानी सब्जी मंडी के पास, पाली।

विषय:- राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा संख्या 718/4 रकबा 8498.00 वर्गमीटर आवासीय
प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा संख्या 718/4 रकबा 8498.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण एजेन्डा संख्या 09 में समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 18 मीटर रखा जावे एवं सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से छोड़ कर शेष भूमि का पट्टा जारी किय जावें।
2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 तथा रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं अतः रेरा में रजिस्ट्रेशन उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे।
3. नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों को समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. टाउनशिप पॉलिसी-2024 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि वसूल की जावें।
6. योजना में नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

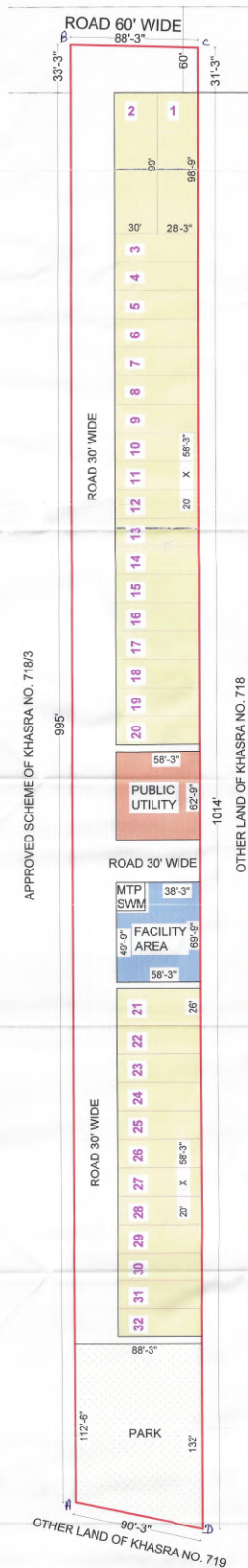
समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में ले-आउट योजना मानचित्र हस्ताक्षर कर एक प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही हैं। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान 2.7 के तहत आंतरिक विकास कार्य एवं रखरखाव की एवज में 10 प्रतिशत रहन रखे जाने वाले भूखण्डों का रहननामा अथवा समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करे एवं साथ ही समिति निर्णय बिन्दु संख्या 02 की पालनार्थ राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में योजना का पंजीयन करवा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


06/01/2026

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास पाली
0/L

**LAYOUT PLAN OF PROPOSED RESIDENTIAL SCHEME SITUATED
ON KHASRA NO. 718/4 REVENUE VILLAGE MANDALI KHURD**

SCALE :- 1" = 40' FEET

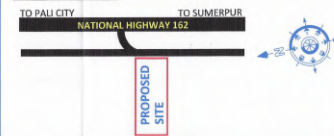


नोट: ग्राम मंडलीखुर्द के ख.न. 718/4 में उपरोक्त उक्त प्रोपोजा मानचित्र का सुविमोक्षण गरी बिजु AECD द्वारा किया गया।
विशेष कुमर
पादवारी पदवारी समिति-मंडलीखुर्द
सहस्रीत-यु.ब. पाली (पाद)

सहस्रीतदार, पाली

पारसमल कोरडे

KEY PLAN (NTS)



AREA ANALYSIS :-

SR. NO.	DESCRIPTION	AREA SQ. MTR.	PERCENTS
1	RESIDENTIAL	3814.27	44.88
2	ROAD	2966.91	34.91
3	PARK	1000.00	11.77
4	FACILITY AREA	339.86	04.00
5	PUBLIC UTILITY	339.80	04.00
6	MTP, SWM	37.16	00.44
TOTAL		8498.00	100.00

**LAYOUT PLAN IS APPROVED AS PER DECISION
TAKEN IN EMPOWERED COMMITTEE MEETING
DATED 14/10/2025**

सुविम
पादवारी पदवारी समिति
पादवारी

सुविम
पादवारी पदवारी समिति
पादवारी



कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली

डाक बंगला परिसर, पाली

फोन नं. 02932-223222

ई मेल – uitpali@gmail.com

क्रमांक: बीपीसी (एल.पी.)/2025/

दिनांक:— यथा हस्ताक्षरित

पारस मल पुत्र श्री केवल चंद जैन
निवासी— 15, झुरों का बास, पुरानी सब्जी मंडी के पास, पाली।

विषय:— राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा संख्या 718/4 रकबा 8498.00 वर्गमीटर भूमि के अनुमोदित योजना मानचित्र में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत रहन रखे गये भूखण्डों के विवरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा किये गये आवेदनानुसार राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा संख्या 718/4 रकबा 8498.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 में विचारार्थ रखा जाकर एजेन्डा संख्या 09 में समिति द्वारा सशर्त योजना का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसके अनुसरण में आपको अनुमोदित योजना मानचित्र जारी कर दिया गया था।

आपको निर्देशित गया था कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान 2.7 के तहत आंतरिक विकास कार्य एवं रखरखाव की एवज में 10 प्रतिशत रहन रखे जाने वाले भूखण्डों का रहननामा अथवा समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करे एवं साथ ही समिति निर्णय बिन्दु संख्या 02 की पालनार्थ राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में योजना का पंजीयन करवा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

आप द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान 2.7 के तहत आंतरिक विकास कार्य एवं रखरखाव की एवज में 10 प्रतिशत रहन रखे जाने वाले भूखण्डों का रहननामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि इन भूखण्डों को रहन रखे जाने का प्रमाण-पत्र रेरा द्वारा वांछनीय है। आप द्वारा प्रस्तुत रहननामा में भूखण्ड संख्या 29, 30, 31 एवं 32 हेतु आरक्षित भूखण्डों का अंकन किया गया है। इस सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत रहननामे की प्रमाणित छाया प्रति-संलग्न की जा रही है। राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में योजना का पंजीयन करवा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

सचिव

नगर विकास न्यास, पाली

क्रमांक: बीपीसी (एल.पी.)/2025/

दिनांक:— यथा हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :- रजिस्ट्रार, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव

नगर विकास न्यास, पाली

Signature valid

Digitally signed by B. Singh
Designation : Secretary
Date: 2026.07.03 10:03:14 IST
Reason: Approved